

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1407

(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पैदलपुलों और पुलियों का निर्माण

1407. डॉ. लता वानखेडे:

श्री अतुल गर्ग:

श्री राजेश वर्मा:

श्रीमती शांभवी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बने पैदल पुलों और पुलियाओं का राज्य और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से छोटे पुलों और पुलियों के लिए ग्रामीण विकास और संपर्क योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, वितरित और व्यय किए गए धन का राज्य और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष भर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल पुलों और पुलियों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पैदल पुल और पुलिया परियोजनाओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण के लिए ग्रामीण संपर्क योजनाओं के तहत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ड) स्थायी पैदल पुल या पुलियाओं की कमी वाले गांवों में संवेदनशील नदी और पुलिया पार करने वाले स्थानों का मानचित्रण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ग्राम पंचायत के बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारियों के तहत ग्रामीण पैदल पुलों और पुलियों के रखरखाव को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है , यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का प्राथमिक उद्देश्य पात्र ग्रामीण बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है , जिससे सड़क नेटवर्क पूरे वर्ष संचालित हो सके। स्टैंडअलोन पैदल यात्री फुटब्रिज के निर्माण के लिए इस योजना के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि , सड़क नेटवर्क के निर्माण में , आवश्यक पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज (सीडी) संरचनाएं जहां भी इसकी आवश्यकता हो अवश्य शामिल की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पुलिया और सेतु सहित सीडी कार्यों की पर्याप्त संख्या और इनके प्रकार कार्यस्थल की आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान किए जाएं जो आवश्यक जांच के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है और जिसकी जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में दी जाती है। सड़क संरक्षण के भाग के रूप में यथा आवश्यक लांग स्पैन ( Long Span) पुल भी बनाए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़क लंबाई का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा <https://pmsgsy.dord.gov.in/>->Progress Monitoring -> Financial Year wise Achievement पर देखा जा सकता है। और वर्ष 2020 से वर्ष 2025-26 तक आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गांव की आंतरिक पक्की सड़कों या गलियों के निर्माण की अनुमति होती है जिसमें साइड नालियां और पुलिया भी शामिल हैं। पिछले 5 सालों में पूरे हुए पुलियों का राज्य-वार ब्यौरा और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलियों पर किया गया कुल व्यय अनुबंध-II में दिया गया है।

पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें राज्य सरकारें बनाती हैं, जिनकी डिजाइन अवधि कम से कम 10 वर्ष होती है। पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों और पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार , सभी सड़क कार्यों का प्रारम्भिक पांच वर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधियों का बजटीय प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है और इसे एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीएस) के पास रखा जाता है। 5 वर्ष के निर्माण रखरखाव ठेके की समाप्ति के बाद पीएमजीएसवाई सड़कों को समय समय रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष के रखरखाव के क्षेत्रीय रखरखाव ठेकों के तहत रखा जाना होता है।

\*\*\*

अनुबंध- I

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जारी और व्यय (राज्य अंश सहित) की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी	व्यय (राज्य अंश सहित)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	3.78	9.22	5.45	12.22	7.51	12.22	22.93	0.05	3.97	0.00	9.47
2	आंध्र प्रदेश	53.20	396.75	50.00	508.86	644.13	748.63	140.64	368.03	507.32	370.60	0.00	225.04
3	अरुणाचल प्रदेश	952.31	1,429.61	1090.60	1,279.07	1018.74	1,246.99	339.90	320.09	609.00	726.10	158.62	435.96
4	असम	2516.62	2600.19	1591.50	2,488.03	664.91	1,118.21	391.29	571.22	79.24	264.76	84.03	85.08
5	बिहार	49.13	2173.52	375.00	1,992.99	1443.23	2,088.54	963.37	1,815.63	1195.44	2,312.80	0.00	548.59
6	छत्तीसगढ़	924.48	1985.94	394.41	1,902.34	995.87	1,057.35	401.77	388.09	325.24	413.71	93.95	180.80
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	79.08	133.32	195.50	400.16	266.63	492.19	298.41	330.33	220.65	361.22	0.00	101.02
9	हरियाणा	0.00	92.10	353.23	583.12	168.25	213.81	74.01	150.86	27.38	34.60	0.00	4.23
10	हिमाचल	745.2	1061.0	517.45	933.22	624.7	626.84	617.56	371.54	634.82	904.14	321.8	710.5

ल प्रदेश	4	0			6							5	6
11 जम्मू और कश्मीर	1727.30	932.37	1328.34	1,485.28	717.00	1,114.78	1304.17	1,256.96	1028.25	1,070.58	14.88	242.57	
12 झारखंड	293.50	1083.34	0.00	598.44	332.63	745.63	752.80	1,323.90	961.77	1,374.96	0.00	371.95	
13 कर्नाटक	49.29	728.40	704.25	1,499.18	720.47	864.71	72.25	404.03	100.58	142.81	0.01	11.51	
14 केरल	89.97	71.76	0.00	46.91	106.76	124.97	54.25	164.95	122.27	249.15	41.82	109.44	
15 लद्दाख	50.00	514.73	140.79	109.66	109.97	107.81	37.50	30.44	113.81	111.33	39.10	49.20	
16 मध्य प्रदेश	1099.54	2166.99	1392.25	2,419.14	1557.47	1,978.73	599.42	1,105.16	703.29	966.83	50.22	331.27	
17 महाराष्ट्र	0.00	221.59	0.00	376.73	743.00	1,074.02	1110.80	1,507.37	854.93	1,524.10	38.03	581.50	
18 मणिपुर	420.66	601.46	742.00	710.58	744.98	539.11	161.29	296.83	2.81	88.75	0.32	1.85	
19 मेघालय	355.29	473.71	483.92	536.92	405.89	373.72	122.59	238.19	219.62	375.61	95.54	96.82	
20 मिजोरम	1.59	277.32	74.34	332.86	584.20	315.94	141.37	381.62	87.50	45.78	16.21	59.41	
21 नागालैंड	72.89	144.70	145.31	125.83	183.15	198.65	161.29	94.01	2.25	30.50	3.12	39.88	
22 ओडिशा	774.29	1754.13	404.12	1,795.5	1235.88	2,088.9	1262.55	1,589.8	712.39	734.9	65.27	118.81	
23 पुदुचेरी	0.00	0.00	11.66	0.00	24.72	27.08	0.27	11.89	25.00	-0.10	0.00	0.00	
24 पंजाब	0.00	2.67	68.59	295.14	231.06	428.72	265.10	522.95	319.87	328.82	43.34	220.89	
25 राज	237.15	492.13	917.51	1,452.6	199.90	372.38	404.79	633.09	450.4	933.32	143.0	255.1	

	स्थान				4					6		8	6
26	सिक्किम	195.50	178.52	107.28	177.89	263.33	230.34	94.37	130.13	70.00	148.98	32.97	87.07
27	तमिलनाडु	265.38	626.92	440.00	1,169.56	613.70	532.36	411.36	777.78	638.66	741.43	182.22	1011.68
28	तेलंगाना	0.00	288.59	86.38	410.80	321.43	345.32	296.96	479.41	132.57	399.90	0.00	157.33
29	त्रिपुरा	69.57	99.25	73.88	202.93	267.59	152.90	185.03	112.64	172.75	98.07	10.89	36.37
30	उत्तर प्रदेश	123.90	440.19	1418.55	2,074.26	2068.57	3,267.32	2679.63	3,791.65	1968.60	2,704.11	0.00	383.58
31	उत्तराखण्ड	1536.27	1493.50	787.00	1,218.45	1297.16	1,350.02	551.05	800.68	815.50	934.09	95.82	245.43
32	पश्चिम बंगाल	969.31	1471.94	49.94	701.28	381.03	394.75	99.275	309.11	225.00	271.11	79.33	428.52
	<b>कुल</b>	<b>13651.46</b>	<b>23940.42</b>	<b>13952.99</b>	<b>27,833.22</b>	<b>18948.61</b>	<b>24,228.27</b>	<b>14007.29</b>	<b>20,301.27</b>	<b>13327.03</b>	<b>18,666.94</b>	<b>1,610.62</b>	<b>7,140.99</b>

अनुबंध- II

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले 5 वर्षों (4 दिसंबर 2025 तक) के दौरान निर्मित पुलियों और कुल किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा														
क्र.सं.	राज्य	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या						कुल व्यय (लाख रुपये में)						चल रहे कार्यों की संख्या
		2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	
1	आंध्र प्रदेश	117	5	7	24	9	533	442.99	148.85	14.35	56.64	50.7	198.25	578
2	अरुणाचल प्रदेश	13	16	11	4	12	31	310.97	490.41	192.78	248.98	359.14	350.3	93
3	असम	20	40	15	6	11	17	118.94	167.14	85.25	77.39	50.22	164.97	105
4	बिहार	197	272	121	38	105	47	3229.6	3090.86	958.65	313.3	479.08	299.82	2,522
5	छत्तीसगढ़	166	416	231	149	149	95	769.06	4213.15	2824.33	1304.99	1052.82	1356.72	313
6	गोवा	-	-	-	-	-	-	0.47	0.15	0	0	0	0	1
7	गुजरात	81	277	145	75	117	51	212.64	540.8	879.11	1129.07	431.39	316.68	599
8	हरियाणा	-	-	-	-	1	2	1.28	0	0	0	3.21	1.24	1
9	हिमाचल प्रदेश	10	16	5	15	8	11	55.92	58.24	31.97	44.5	23.89	34.97	113
10	जम्मू और कश्मीर	18	19	3	10	19	16	183.27	253.33	3.12	5.5	14.56	56.13	619
11	झारखंड	55	100	214	83	214	14	17.16	79.51	857.87	606.59	407.25	713.44	199
12	कर्नाटक	115	365	123	147	20	20	354.14	917.31	479.61	508.11	135.41	74.16	1,055
13	केरल	72	213	104	52	33	19	130.78	644.85	393.03	370.42	171.17	91.03	209
14	लद्दाख	30	17	-	-	1	-	19.97	47.6	0.03	1.96	0.36	0.38	18
15	मध्य प्रदेश	726	2,144	1,935	1,529	1,601	982	1567.2	8067.26	9492.94	5714.27	4825.35	3851.15	1,998
16	महाराष्ट्र	12	28	12	20	-	-	73.56	111.81	121.51	81.21	7.15	0	182
17	मणिपुर	20	5	10	-	1	11	758.95	72.06	39.51	18.86	27.31	42.47	194
18	मेघालय	2	2	2	7	4	11	370.62	573.61	37.73	34.95	21.52	41.74	371
19	मिजोरम	39	41	41	65	47	26	93.43	122.18	146.08	197.18	136.65	92.34	17
20	नागालैंड	1	3	19	1	6	4	116.83	85.72	146.88	94.87	68.3	68.58	34
21	ओडिशा	75	111	23	131	94	62	1296.18	774.53	336.37	246.77	433.63	307.52	1,019

22	पंजाब	5	8	9	11	11	15	19.35	20.34	8.88	115.49	31.68	30.48	23
23	राजस्थान	7	199	64	16	20	3	1338.17	3123.19	2253.47	1236.39	1050.15	249.5	822
24	सिक्किम	1	-	-	1	-	-	2.75	5.1	0	2.14	0	0	2
25	तमिलनाडु	599	1,392	2,111	2,459	1,911	550	7882.31	13582.9	14080.7	23847.28	15478.52	9243.58	3,595
26	तेलंगाना	13	15	2	-	1	-	140.35	56.66	13.01	0.21	0	0	119
27	त्रिपुरा	2	7	4	1	1	4	79.22	257.89	7.3	35.54	12.1	22.81	74
28	उत्तर प्रदेश	157	343	177	164	88	49	634.34	786.76	809.99	743.9	259.23	551.62	778
29	उत्तराखंड	5	4	3	11	5	11	6.29	6.82	4.79	8.07	11.58	24.9	10
30	पश्चिम बंगाल	13	-	-	3	65	17	0	0	0	17.57	232.92	671.07	280
31	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
	<b>कुल</b>	2,571	6,058	5,391	5,022	4,554	2,601	20226.7	38299.03	34219.2	37062.15	25775.29	18855.85	15,943

-